प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021 / 692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट जिला दौसा, राज.

पीठासीन अधिकारी — विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)

मुकदमा नम्बर — 2021 / ~~186~~ 692 पूर्व नम्बर 85 / 20

रज्जू दिनांक — 01.01.2021

1. संतोष देवी पुत्री स्व० श्रीनारायण पत्नी श्री अविनाश जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर हाल निवासी प्लाट सं. एमए – 50, सेक्टर 14, इन्दिरा गांधी नगर, खातीपुरा, रेल्वे स्टेशन के पास, जगतपुरा, जयपुर ।

— प्रार्थीगण

बनाम्

1. नंदलाल पुत्र स्व0श्रीनारायण
2. कानाराम पुत्र स्व0 श्रीनारायण

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी, जिला जयपुर
3. अनिता पुत्री स्व० श्रीनारायण पत्नी श्री अमर सिहं जाति मीणा निवासी ग्राम सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
4. सरकार जरिये तहसीलदार जी, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राज०
5. उपपंजीयक जी पंजीयन कार्यालयलालसोट, जिला दौसा, राज० ।

मुख्य अप्रार्थीगण

6. बद्री पुत्र सोन्या
7. प्रहलाद पुत्र लक्ष्मीनारायण
8. लाला पुत्र रामु
9. राकेश पुत्र रामु

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021/692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

10. ममता देवी पत्नी शंकरलाल जाति मीणा निवासी ग्राम हमजापुरा, तहसील पीपलू, जिला टोंक, राज० ।

— तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— 1. श्री वैभव गुरावा — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री नरेन्द्र जांगिड — अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 02-07-24

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिया संतोष देवी द्वारा ग्राम ग्राम समेल, तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना, जिला दौसा, राज० मे स्थित वादग्रस्त भूमि खाता सं. 116 खसरा नंबर 3 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 06 बिस्वा, खाता सं. 117 खसरा नंबर 2 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 08 बिस्वा ,खाता सं. 118 खसरा नंबर 4 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा को वादग्रस्त करार कर अप्रार्थीगण नन्दलाल वगै के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्त0 अधिनियम 1955 निम्नानुसार :—

श्रीया उर्फ श्रीनारायण पुत्र प्रभात(फौत)

छोटा देवी पत्नी फौत	नन्दलाल	कानाराम	संतोष	अनीता देवी
	पुत्र अप्रार्थी सं. 1	पुत्र अप्रार्थी सं. 2	प्रार्थीनी	पुत्री अप्रार्थी सं.3

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सजरा खानदान दर्शाते हुए पेश किया है कि प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 एक परिवार के सदस्य है जिनकी ग्राम समेल, तहसील लालसोट, जिला दौसा, राज० मे खातेदारी भूमि

स्थित है। प्रार्थिनी एवम अप्रार्थी 1 लगायत 3 के पिता श्रीनारायण पुत्र प्रभात उक्त कृषि भूमि खाता सं. 116 खसरा नंबर 3 रकबा 06 बिस्वा मे हिस्सा 2/9 एंव खाता सं. 117 खसरा नंबर 2 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 08 बिस्वा मे हिस्सा 2/9 एंव खाता सं. 118 खसरा नंबर 4 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा मे हिस्सा 97/101 दर हिस्सा 1/9 भूमि के रिकोर्डेड काबिज सहखातेदार काश्तकार थे जो निर्वसीयती दिनाक 8.3.2014 को फौत हो गये थें। उक्त भूमि को आगे वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त खसरा नम्बरान् का बाकी हिस्सा अन्य सहखातेदारो अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 का है जिनसे किसी प्रकार का रिलीफ नही चाहा गया है । प्रार्थना पत्र के अभिचन है कि स्व. श्रीनारायण के दो पुत्र क्रमशः नंदलाल व कानाराम एंव दो पुत्रिया अनिता एंव संतोष देवी है। श्रीनारायण के स्वर्गवास के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि विरासत में उनके दोनो पुत्रों क्रमशः नंदलाल व कानाराम एंव दोनो पुत्रियो अनिता एंव संतोष देवी के नाम बराबर–बराबर लगनी चाहिये थी, क्योकि ये दोनो पुत्र व दोनो पुत्रिया ही स्व. श्रीनारायण जी के वारिस एंव उत्तराधिकारीगण है। प्रार्थीनी का श्रीनारायण की पुत्री होने के कारण वादग्रस्त आराजी में जन्मजात हित निहित है, इसलिये स्व. श्रीनारायण जी के स्वर्गवास के पश्चात स्वतः ही प्रार्थीनी, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के साथ सहखातेदार हो गयी । लेकिन अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 ने राज कर्मचारियो से साज करके वादग्रस्त आराजी का अपने नाम नामान्तकरण सं. 927 दिंनाक 18.5.2015 खुलवाकर खातेदारी प्राप्त कर ली है । जो अवैधानिक है तथा कानून की मनसा के विपरीत है ! ऐसा नामान्तकरण प्रार्थीनी के वैधानिक अधिकारों के विरूद्ध प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है ! जबकि वादग्रस्त आराजी का नामान्तकरण मुझ प्रार्थीनी एंव अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के नाम बराबर–बराबर खोला जाना चाहिये था ! वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीनी, अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के साथ अपने 1/4 हिस्से पर आपसी सहमति से बंटवारा करके काबिज, काश्त चली आ रही है तथा पक्षकार शामलात में सरकार में लगान जमा कराते आ रहे है। प्राथीनी के आगे अभिवचन है कि ग्राम श्रीरामपुरा, तहसील बस्सी मे भी प्रार्थीनी के पिता स्व० श्रीनारायण जी की खातेदारी भूमि थी, उसमे तो प्रार्थीनी को स्व० श्रीनारायण जी की विरासत मे पुत्री होने के नाते हिस्सा दे दिया गया । प्रार्थीनी के हिस्से का हक त्याग प्रार्थीनी के दोनो भाई नंदलाल व कानाराम ने प्रार्थीनी संतोष देवी से अपने पक्ष मे उप पंजीयक [illegible] त्याग पत्र दिनाक 10.2.2016 को करवा लिया । प्रार्थीनी औरतजात थी [illegible] पूर्ण [illegible] से आश्वस्त थी कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी को अपने भाईयो [illegible] बहिन के सा[illegible] विरासत में हिस्सा मिल गया होंगा लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने गैर [illegible] कर्मचारियो से साज करके वादग्रस्त आराजी के 1/3–1/3 हिस्से की भूमि को अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के नाम लगवा लिया, जो प्रार्थीनी के वैधानिक अधिकारों के विरूद्ध प्रारंभतया प्रभावशून्य है, जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही था। अप्रार्थी सं. 1 व 2 के उक्त कृत्य के लिये प्रार्थीनी पृथक से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021/692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

फौजदारी कार्यवाही भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अमल मे लावेंगी । प्रार्थीनी के पिता श्रीनारायण पुत्र प्रभात के स्वर्गवास के पश्चात उनके दोनो पुत्रों एंव दोनो पुत्रियों के नाम वादग्रस्त आराजी बराबर – बराबर अर्थात 1/4–1/4 हिस्से में लगनी चाहिये थी चूँकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीनी के पिता की संपति है, जिसमें प्रार्थीनी का जन्मजात हित निहित है ! संपूर्ण वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीनी का 1/4 हिस्सा होता है ।

वादकारण के संबंध में प्रार्थीनी के अभिचचन है कि दिनांक 27.9.2021 को प्रार्थीनी अपनी भूमि की सार संभाल करने गयी हुयी थी तो अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 कुछ अज्ञात व्यक्तियों को साथ लेकर जमीन बेचने के इरादे से वादग्रस्त भूमि पर आये तथा भूमि बेचान करने की बातचीत करने लगें तो प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण से कहा कि इस जमीन में तो मेरा भी हिस्सा है तुम लोग जमीन का बेचान नही कर सकते हों तो अप्रार्थीगण ने कहा कि ये जमीन तो हमारें नाम है, हम तो इसे बेचान करके रहेंगे । हरे पेड़ों को काटेंगे, खातेदारी भूमि को आबादी में तब्दील कर देंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हों। तपुपरान्त प्रार्थीनी ने अप्रार्थीगण से कहा कि मेरी जमीन मेरे नाम लगाओं तो अप्रार्थीगण ने साफ इंकार कर दिया तथा प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल करने की धमकी देने लगे। इस कारण प्रार्थीनी के लिये ऐसी स्थिति में आवश्यक हो गया है कि न्यायालय में दावा पेश कर अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणा करवाकर जमीन को अपने नाम लगवावें तथा अप्रार्थीगण को प्रार्थीनी के हिस्से की जमीन में किसी प्रकार की मजाहमत एंव दखलन्दाजी हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद करावें ।

शेष अप्रार्थी सं. 6 लगायत 9 के लिए प्रार्थिया ने कहा है कि वादग्रस्त भूमि के वे सहखातेदार है, जिनसे किसी प्रकार का रिलीफ नही चाहा गया है । अप्रार्थी सं. 4 सरकार भूमिधारी है, जो राजस्व रिकोर्ड का रखरखाव करते है । इसलिये उनको पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थी सं. 5 उप पंजीयक है जो हस्तान्तरण संबधी दस्तावेजो का पंजीयन करते है । अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमदा है । इसलिये उनको पक्षकार बनाया गया है । अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 के द्वारा प्रार्थीनी के हिस्से की भूमि अपने नाम लगाने तथा प्रार्थिनी के नाम वादग्रस्त आराजी लगाने से इंकार करने एवं दिनांक 27.9.2021 को भूमि बेचने का असफल प्रयास करने व उसके पश्चात निरन्तर [illegible] उत्पन्न हुआ। राजस्व रिकोर्ड, वादपत्र प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्रों में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीनी का प्रथमदृष्टया केस मजवूत है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में है। अगर चाही गयी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पांबद नही किया गया तो अप्रार्थीगण राजस्व रिकोर्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त आराजी को दीगर व्यक्तियों को बेचान कर देंगे । जिससे मुकदमेंबाजी बढ़ेंगी । प्रार्थीनी व्यर्थ की मुकदमेंबाजी में पडकर बर्बाद हो जावेंगी एंव प्रार्थीनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

लालसोट जिला-दौसा (राज०)

के वैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात होंगा एंव प्रार्थीनी को अपूर्तनीय क्षति होंगी ! जिसकी
क्षतिपूर्ति दावे में सफलता के बाद भी नही मिल सकेंगी इस आशय के अभिवचन करते हुए
अप्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 को आराजी वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 3 रकबा 06 बिस्वा
खसरा नंबर 2 रकबा 08 बिस्वा खसरा नंबर 4 रकबा 22 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम समेल,
तहसील लालसोट जिला दौसा, राज० का बय, बख्शीश, बेचान, या अन्य प्रकार से अंतरण
आदि न करने , प्रार्थीनी के कब्जे, काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत न करने एवम् राजस्व
रिकोर्ड एंव मौके की यथास्थिति रखने बाबत् अस्थाई निषेद्याज्ञा से पांबद करवाने का निवेदन
किया है।

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।
अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र जांगिड उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र
का जवाब पेश किया जिसकी नकल अधिवक्ता प्रार्थिया को दिलवाई गई। जवाब पत्रावली में
शामिल किया गया। अपने जवाब में प्रतिपक्ष द्वारा प्राथिर्यया के अभिवचनों का खण्डन करते
हुए अंकित किया है कि स्वयं प्रार्थीया के पिता द्वारा विवादग्रस्त आराजी में से प्रार्थिया को
बेदखल कर दिया था । इसलिए कानूनी रूप से प्रार्थीया विवादग्रस्त सम्पत्ति में अपना हिस्सा
मांगने की कोई अधिकारीणी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है ।
प्रार्थना पत्र का चरण संख्या – 4 गलत तथ्यो के आधार पर आधारित बता कर कथन किये है
कि नारायण एवं परिवार के अन्य सदस्यो की सहमति के बिना अपनी मनमर्जी से कही दूसरी
जगह चली गई थी जिससे अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिताजी की सामाजिक प्रतिष्ठा, ईज्जत
बहुत बढा गहरा आघात पहुंचा जिसकी वजह से अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिता की मृत्यु हो
गई और मृत्यु से पूर्व समाज के पंचो एवं परिवार के उपस्थित सदस्यो की मौजूदगी मे मीना
समाज की रीति रिवाज एवं परम्परा अनुसार अप्रार्थी सं01 व 2 के पिता ने प्रार्थीया को अप्रार्थी
की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति में से प्रार्थीया को सम्पूर्ण रूप से बेदखल कर दिया था तथा
स्पष्ट रूप से मृत्यु से पहले उन्होने यह कहां था कि मेरे मृत्यु के बाद में विवादग्रस्त आराजी
में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं होगा। इसी वजह से दिनांक 10–02–2016 को
प्रार्थीया के द्वारा स्टाम्प कीमति 100 /– रूपये पर एक इकरारनामा अप्रार्थी सं01 व 2 के
साथ इस आशय का किया कि विवादग्रस्त भूमि जो [illegible] समेल पटवार क्षेत्र होदायली
तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त खातेदार [illegible] प्रार्थीया के पिता श्रीया
उर्फ श्रीनारायण के नाम थी जिसकी मृत्यु दिनांक 08–0[illegible] 2014 को हो चुकी हैं जिसके
उपरांत मेरे सगे भाई जायंदा वारिस होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तरकण राजस्व रिकार्ड
में अपने नाम करवा लिया है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम
अंकित है। उक्त इकरारनामे में स्वयं प्रार्थीया द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई हैं कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021/692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

स्वय प्रार्थीया अपने पिता के जीवित रहने के दौरान उनको बिना बताये अपनी मनमर्जी से किसी अन्य जगह चली गई थी। जिसकी वजह से प्रार्थीया को उसके पिता के द्वारा सम्पूर्ण जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। गये उक्त इकरारनामे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि विवादग्रस्त आराजी में जो मेरा हिस्सा बनता है उसको इस एग्रीमेंट के माध्यम से मैने अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम हकत्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10–02–2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में प्रार्थीया स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति का कथन करती हैं कि अब प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रार्थीया द्वारा पूरे होश हवास से तथा नोटेरी पब्लिक की उपस्थिति में तथा रूबरू गवाहान छोटेलाल मीना व राकेश मीना की उपस्थिति में उक्त इकरारनामा तहरीर करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा उक्त इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक कैलाश चंद शर्मा बस्सी द्वारा अटेस्टेड करवाया गया। तथा जिसके रजिस्टर्ड क्रम संख्या 39/2016 हैं तथा साथ ही परिप्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी सं01 व 2 को दिनांक 10–02–2016 को अपने हिस्से के सम्पूर्ण कपडे, जैवर इत्यादि प्राप्त करने के संबंध में व इसके बाद प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं होने का के संबंध में एक स्टाम्प कीमति 100 /– रूपये पर दिनांक 10–02–16 को उक्त संबंध में एक रसीद भी नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाकर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को दी गई। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा निष्पादित इकरारनामा दिनांक 10–02–2016 व निष्पादित रसीद के अनुसार प्रार्थीया स्वयं अपने कथनो से एस्टोप्ड हैं। इसलिए विधि के सिद्धान्तो के अनुसार अब कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के पिता की विवादग्रस्त सम्पत्ति में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई हिस्सा है। इसलिए कानूनी रूप से प्रार्थीया उक्त हिस्से के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से अपने हिस्से के संबंध में घोषणा का प्रार्थना प्रस्तुत कर उक्त संबंध में कोई रिलिफ प्राप्त करने की कोई अधिकारीणी नहीं है । प्रार्थीया का उक्त विवादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है । चूकि मीना समाज में रूढिप्रार्थी पद्धति के नियम व कानून लागू होते है। हिन्दू उत्तराधिकारी नियम में स्पष्ट रूप से इस बात का अंकन किया हैं कि मीना समाज के लोगो पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है। इस प्रकार उक्तप्रकरण में प्रार्थीया किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज [illegible] है ।

कब्जे के संबंध में अप्रार्थीगण का कहना [illegible] प्रार्थीया का [illegible] कोई कब्जा नहीं होने से हेतूक उत्पन्न नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी[illegible] प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज०)

प्रार्थीया ने अप्रार्थीगणण को हैरान व परेशान करने की गर्ज से झूठे तथ्यो के आधार पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीया को किसी भी प्रकार से परेशान करने का काई इरादा नहीं हैं। अगर प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र के आधार अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया तो अपूरणीय क्षति प्रार्थीया को नहीं होकर अप्रार्थीगण को होगी। प्रथम दृष्त्या केस प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हैं । तथा सुविधा संतुलन की तुला भी प्रार्थीया के पक्ष में नहीं होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में हैं ।

इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेशकर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया फरमाने का निवेदन किया है। जवाब शामिल पत्रावली किया जाकर नकल अधिवक्ता प्रार्थीया को दिलवाई गई। तदुपरान्त पत्रावली पर उभयपक्षो के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा अपने अपने अभिवाकों के समर्थन में लिखित बहस पेश की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस पेश की है कि अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थीया को न्यायालय के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं राज0 काश्तकारी अधि० की धारा 212 के तहत तीन बिन्दुओ पर विवेचन करना एवं उन्हे अपने पक्ष में साबित करना आवश्यक है जिसके लिये प्रार्थीया के अधिवक्ता की ओर से उक्त प्रकरण में लिखित बहस निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः-

प्रथम दृष्टया मामला

वकील प्रार्थी ने प्राईमा फैसाई के बिन्दू तर्क अंकित किये है कि वादीनी एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा खानदान मुताबिक प्रार्थना पत्र है। ग्राम समेल तहसील लालसोट जिला दौसा राज० मे स्थित वादग्रस्त भूमि खाता सं0 116 ख० नं० 3 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 06 बिस्वा में हिस्सा 2 / 9 एवं खाता सं0 117 नम्बर 2 रकबा 08 बिस्वा कुल किता 1 कुल रकबा 08 बिस्वा में हिस्सा 2 / 9 एवं खाता सं0 118 नंबर 4 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा में हिस्सा ... पर हिस्सा 2 / 9 भूमि के वादीनी एवं प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के पिता श्रीनारायण पुत्र प्रभात रिर्कोडेड काबिज सहखातेदार काश्तकार थे। जो निर्वसीयती दिनांक 08.03.2014 को फौत हो गये। उक्त भूमि को ही वादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। वादग्रस्त आराजी का बाकी हिस्सा अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सत्यापित प्रतिलिपि
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

सहखातेदारो प्रतिवादी सं0 6 लगायत 9 का है, जिनसे किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही गई है। श्रीनारायण पुत्र प्रभात के स्वर्गवास के पश्चात उनकी खातेदारी भूमि विरासत में उनके दोनो पुत्रो क्रमशः नन्दलाल व कानाराम एवं दोनो पुत्रियों अनिता एवं संतोष देवी के नाम बराबर–बराबर लगनी चाहिये थी। लेकिन प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 ने राज कर्मचारियो से साज करके वादग्रस्त आराजी का अपने नाम नामान्तरकरण सं0 927 दिनांक 18.05. 2015 खुलवाकर खातेदारी प्राप्त कर ली है । जो अवैधानिक है तथा कानून की मनसा के विपरीत है । ऐस नामान्तरकरण वादीनी के वैधानिक अधिकारो के विरूद्ध प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। ग्राम श्रीरामपुरा तहसील बस्सी में भी वादीनी के पिता स्व. श्री नारायण जी की खातेदारी भूमि थी उसमे तो वादीनी को स्व. श्रीनारायण जी की विरासत में पुत्री होने के नाते हिस्सा दे दिया गया । वादीनी के हिस्से का हक त्याग वादीनी के दोनो भाई नन्दलाल व कानाराम ने वादीया संतोष देवी से अपने पक्ष में उपपंजीयक कार्यालय बस्सी में रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 10.02.2016 को करवा लिया। वादीनी औरतजात थी एवं पूर्ण रूप से आश्वस्त थी कि वादग्रस्त आराजी में वादीनी को अपने भाईयों व बहिन के साथ विरासत में हिस्सा मिल गया होगा। लेकिन प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने गैर कानूनी तरीके से राज कर्मचारियों से साज करके वादग्रस्त आराजी के 1/3–1/3 हिस्से की भूमि को प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के नाम लगवा दिया। जो वादीनी के वैधानिक अधिकारों के विरूद्व प्रारंभतया प्रभावशून्य है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही था। वादीनी के पिता श्रीनारायण पुत्र प्रभात के स्वर्गवास के पश्चात उनके दोनो पुत्रों एवं दोनो पुत्रियों के नाम वादग्रस्त आराजी बराबर–बराबर अर्थात 1/4–1/4 हिस्से मे लगनी चाहिये थी। वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता की सम्पति है। जिसमें वादीनाी का जन्मजात हित निहित है। सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/4 हिस्सा होता है। इस संबंध में प्रार्थीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 2022 वॉल्यूम 2 सीजे सिविल राजस्थान पेज सं. 1080 भारत राज्य बनाम हवासिंह व अन्य, 2022 वॉल्यूम 2 सीजे सिविल राजस्थान पेज सं. 1008 हरिराम बनाम मोरू देवी, 2022 वॉल्यूम 3 सीजे सिविल राजस्थान पेज सं. 1811 जैसे अन्य न्यायिक दृष्टान्त माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है। उक्त तथ्यों से प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया पक्ष प्रमाणित है। इसके अतिरिक्त यदि वादग्रस्त आराजी को संरक्षित नही किया गया तो ऐसी सूरत में वाद बाहुल्यता बढेगी तथा जिसकी पूर्ति प्रार्थीया को किसी प्रकार से संभव नहीं हो [illegible] इसलिये अपूरणीय क्षति तथा सुविधा का संतुलन दोने बिन्दू प्रार्थीया के [illegible] में बखूबी साबित [illegible]। इस प्रकार लिखित बहस में तथ्य अंकित कर प्रार्थीया की ओर से अधिवक्ता [illegible] लिखित बहस प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रतिबंधित फरमाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज0)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021/692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन बिन्दुओं पर बहस पेश की है।

1 प्राईमा फैसाई के बिन्दू पर वकील अप्रार्थी के तर्क है कि आराजी वादग्रस्त के संबंध में स्वयं वादीया के पिता द्वारा वादग्रस्त आराजी में से बेदखल कर दिया था । इसलिए कानूनी रूप से प्रार्थीया वादग्रस्त सम्पत्ति में अपना हिस्सा मांगने की कोई अधिकारीणी नहीं है । तथा अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिता की मृत्यु दिनांक 08-03-2014 को हो गई है। उक्त आराजी में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थीया अपने पिताजी के जीवन काल में अपने पिताजी श्रीनारायण एवं परिवार के अन्य सदस्यो की सहमति के बिना अपनी मनमर्जी से कही दूसरी जगह चली गई थी जिससे अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिताजी की सामाजिक प्रतिष्ठा, ईज्जत बहुत बढा गहरा आघात पहुंचा जिसकी वजह से अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु से पूर्व समाज के पंचो एवं परिवार के उपस्थित सदस्यो की मौजूदगी में मीना समाज की रीति रिवाज एवं परम्परा अनुसार अप्रार्थी सं01 व 2 के पिता ने प्रार्थीया को उसके पिता की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति में से प्रार्थीया को सम्पूर्ण रूप से बेदखल कर दिया था तथा स्पष्ट रूप से मृत्यु से पहले उन्होने यह कहां था कि मेरे मृत्यु के बाद में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं होगा। इसी वजह से दिनांक 10-02-2016 को प्रार्थीया के द्वारा स्टाम्प कीमति 100/- रूपये पर एक इकरारनामा अप्रार्थी सं01 व 2 के साथ इस आशय का किया कि वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम समेल पटवार क्षेत्र होदायली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के पिता श्रीया उर्फ श्रीनारायण के नाम थी जिसकी मृत्यु दिनांक 08-03-2014 को हो चुकी हैं जिसके उपरांत मेरे सगे भाई जायंदा वारिस होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तरकण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम अंकित है । उक्त इकरारनामे में स्वयं प्रार्थीया द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई हैं कि स्वयं प्रार्थीया अपने पिता के जीवित रहने के दौरान उनको बिना बताये अपनी मनमर्जी से किसी अन्य जगह चली गई थी। जिसकी वजह से प्रार्थीया को उसके पिता के द्वारा सम्पूर्ण जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10-02-2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि वादग्रस्त आराजी में जो मेरा हिस्सा बनता है उसको इस एग्रीमेंट के माध्यम से मैने अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम हकत्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 10-02-2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में प्रार्थीया स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति का कथन करती हैं कि अब प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रार्थीया द्वारा पूरे होश हवास से तथा नोटेरी पब्लिक की उपस्थिति में तथा रूबरू गवाहान छोटेलाल मीना व राकेश मीना की उपस्थिति में उक्त इकरारनामा तहरीर करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा उक्त इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक कैलाश चंद शर्मा बस्सी द्वारा अटेस्टेड करवाया गया । तथा जिसके रजिस्टर्ड क्रम संख्या 39 / 2016 है तथा साथ ही प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी सं01 व 2 को दिनांक 10-02-2016 को अपने हिस्से के समस्त रूपये पैसे इत्यादि प्राप्त करने के संबंध में व इसके बाद प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का कोई संबंध नहीं होने का के संबंध में एक स्टाम्प कीमति 100/- रूपये पर दिनांक 10-02-16 को इसके संबंध में एक रसीद भी नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाकर प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को दी गई। इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा निष्पादित इकरारनामा दिनांक 10-02-2016 व निष्पादित रसीद के अनुसार प्रार्थीया स्वयं अपने कथनो से एस्टोप्ड हैं। इसलिए विधि के सिद्धान्तो के अनुसार अब कानूनी रूप से प्रतिवादीगण के पिता की वादग्रस्त सम्पत्ति में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं रहा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021 / 692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

और ना ही वर्तमान में कोई हिस्सा है। इसलिए कानूनी रूप से प्रार्थीया उक्त हिस्से के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से अपने हिस्से के संबंध में घोषणा के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में कोई रिलिफ प्राप्त करने की कोई अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीया का उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा नहीं है । इसलिए प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज होने योग्य है ।

3 यह है कि प्रार्थीया अपने पिताजी के जीवन काल में अपने पिताजी श्रीनारायण एवं परिवार के अन्य सदस्यो की सहमति के बिना अपनी मनमर्जी से कही दूसरी जगह चली गई थी जिससे अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिताजी की सामाजिक प्रतिष्ठा, ईज्जत बहुत बढा गहरा आघात पहुंचा जिसकी वजह से अप्रार्थी सं01 लगायत 2 के पिता की मृत्यु हो गई और मृत्यु से पूर्व समाज के पंचो एवं परिवार के उपस्थित सदस्यो की मौजूदगी मे मीना समाज की रीति रिवाज एवं परम्परा अनुसार अप्रार्थी सं01 व 2 के पिता ने प्रार्थीया को अप्रार्थी की सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति में से प्रार्थीया को सम्पूर्ण रूप से बेदखल कर दिया था तथा स्पष्ट रूप से मृत्यु से पहले उन्होने यह कहां था कि मेरे मृत्यु के बाद में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं होगा । इसी वजह से दिनांक 10–02–2016 को प्रार्थीया के द्वारा स्टाम्प कीमति 100 /– रूपये पर एक इकरारनामा अप्रार्थी सं01 व 2 के साथ इस आशय का किया कि वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम समेल पटवार क्षेत्र होदायली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के पिता श्रीया उर्फ श्रीनारायण के नाम थी जिसकी मृत्यु दिनांक 08–03–2014 को हो चुकी हैं जिसके उपरांत मेरे सगे भाई जायंदा वारिस होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तरकण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम अंकित है । उक्त इकरारनामे में स्वयं प्रार्थीया द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई हैं कि स्वयं प्रार्थीया अपने पिता के जीवित रहने के दौरान उनको बिना बताये अपनी मनमर्जी से किसी अन्य जगह चली गई थी। जिसकी वजह से प्रार्थीया को उसके पिता के द्वारा सम्पूर्ण जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10–02–2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि वादग्रस्त आराजी में जो मेरा हिस्सा बनता है उसको इस एग्रीमेंट के माध्यम से मैने प्रतिवादी सं01 व 2 के नाम हकत्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 10–02–2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में प्रार्थीया स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति का कथन करती हैं कि अब प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रार्थीया द्वारा पूरे होश हवास से तथा नोटेरी पब्लिक की उपस्थिति में तथा रूबरू गवाहान छोटेलाल मीना व राकेश मीना की उपस्थिति में उक्त इकरारनामा तहरीर करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा उक्त इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक कैलाश चंद शर्मा बस्सी द्वारा अटेस्टेड करवाया गया । तथा जिसके रजिस्टर्ड क्रम संख्या 39 / 2016 हैं तथा साथ ही प्रार्थीया के द्वारा अप्रार्थी सं01 व 2 को दिनांक 10–02–2016 को अपने हि[illegible] इत्यादि प्राप्त करने के संबंध में व इसके बाद प्रार्थीया व अप्रार्थीगण का कोई [illegible] होने का के संबंध में एक स्टाम्प कीमति 100 /– रूपये पर दि[illegible] 10–02–16 [illegible] संबध में एक रसीद भी नोटेरी पब्लिक से अटेस्टेड करवाकर [illegible] गई । इस प्रकार प्रार्थीया द्वारा निष्पादित इकरारनामा दिनांक 10–02–2016 [illegible] निष्पादित रसीद के अनुसार प्रार्थीया स्वयं अपने कथनों से एस्टोप्ड हैं। इसलिए विधि के सिद्धान्तो के अनुसार अब कानूनी रूप से अप्रार्थीगण के पिता की वादग्रस्त सम्पति में प्रार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई हिस्सा है। इसलिए कानूनी रूप से प्रार्थीया उक्त हिस्से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

लालसोट जिला–दौसा (राज०)

के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार से अपने हिस्से के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा कोई रिलिफ प्राप्त करने की कोई अधिकारीणी नहीं है। प्रार्थीया का उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति पर कोई कब्जा नही है । इसलिए प्रार्थीया उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार से स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध मे कोई टी.आई. प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। क्योंकि प्रार्थीया उक्त प्रकरण मे टाईटल होल्डर नही है। साथ ही उक्त प्रकरण में यह कथन करना समीचिन होगा कि यदि उक्त वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में जो नामान्तकरण अप्रार्थी सं01 व 2 के पक्ष मे तस्दीक किया गया हैं और उससे प्रार्थीया व्यथित हैं तो उसे उक्त नामान्तकरण की सक्षम न्यायालय में अपील पेश करनी चाहिये थी परन्तु प्रार्थीया द्वारा उक्त नामांतकरण के संबंध मे आज दिनांक तक कोई अपील पेश नहीं की है। इसलिए इस संबंध में यह उपधारणा की जाती हैं कि वादग्रस्त आराजी के संबंध में खुले हुए नामान्तकरण एवं अप्रार्थी सं01 व 2 खातेदारी अधिकारो को प्रार्थीया द्वारा स्वीकार कर लिया गया है । साथ ही यह कथन करना समीचिन हैं कि दिनांक 10–02–2016 को निष्पादित स्टाम्प कीमती 100 /– रूपये पर निष्पादित इकरारनामे को प्रार्थीया द्वारा किसी भी सिविल न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया है और ना ही उक्त इकरारनामा को किसी सिविल न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त किया गया और ना ही उक्त इकरारनामे के निरस्त के संबंध में किसी प्रकार का कोई सिविल दावा प्रस्तुत किया है और ना ही आज दिनांक तक अप्रार्थी सं0 1 व 2 के विरूद्ध कोई एफ. आई.आर. दर्ज करवायी। जिस वजह से उक्त इकरारनामा दिनांक 10–02–2016 आज भी विधि का बल रखता हैं और उक्त इकरारनामा आज भी अस्तित्व में है। इसलिए उक्त इकरारनामा दिनांक 10–02–2016 को सक्षम न्यायालय से निरस्त करवाये बिना प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज होने योग्य है। उक्त प्रार्थीया मीना समाज के अन्तर्गत आती है। अब मीना समाज में रूढिवादी पद्धति के नियम व कानून लागू होते है। हिन्दू उत्तराधिकारी नियम में स्पष्ट रूप से इस बात का अंकन किया हैं कि मीना समाज के लोगो पर हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता है । इस प्रकार उक्त प्रकरण में प्रार्थीया किसी भी प्रकार की रिलीफ प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है । इसलिए प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने महत्वपूर्ण निर्णय कमला नेती बनाम् एल. ए. ओ. (2023) में भी यह अभिनिर्धारित किया हैं कि मीना समाज जो कि अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आती हैं पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता है तथा हिन्दू लॉ लागू नहीं होने की वजह से पिता की सम्पत्ति पर पुत्रीयो को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। यह कहकर माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त अपील को खारिज फरमा दिया गया। साथ ही यहां यह कथन करना समीचिन होगा कि विधि के सुस्थापित सिद्धांत एवं विभिन्नि हाईकोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय के अनुसार खातेदार के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । इसलिए उक्त प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया माननीय न्यायालय से किसी भी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। उक्त प्रकरण में पेश शुदा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज होने योग्य है वकील अप्रार्थी के आगे यह भी तथ्य है कि सुविधा की तुला प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं01 व 2 के पक्ष में है। क्योंकि प्रार्थीया मीना जाति की महिला हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित नवीनत निर्णय कमला नेती बनाम् एल. ए. ओ. (2023) के अनुसार भी अनुसुचित जनजाति के पिता की सम्पत्ति में (जमीन में) पुत्री का कोई अधिकार नहीं होता है । इसलिए उक्त प्रकरण में भी उक्त सम्पत्ति मीना समाज की हैं तथा पुत्री की हैसियत से प्रार्थीया ने उक्त प्रकरण में यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया हैं जो कानूनन भी के अनुसार पोषणीय नहीं है। क्योंकि अनुसूचित जनजाति पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता हैं। इसलिए सुविधा की तुला प्रार्थीया के पक्ष में न होकर अप्रार्थी सं01 व 2 के पक्ष में है, के

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021 / 692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

अनुसार तथा इकरारनामा दिनांक 10–02–2016 से प्रार्थीया स्वयं अपने कथनो से एस्टोप्ड है। धारा 115 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार भी प्रार्थीया को अपनी स्थिति से परिवर्तन करने की इजाजत नहीं है। सुविधा की तुला भी अप्रार्थी सं01 व 2 के पक्ष में होना जाहिर कर लिखित बहस में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सव्यय खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। उभयपक्षों के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं राज0 काश्तकारी अधि० की धारा 212 के तहत तीन बिन्दुओ पर विवेचन उपरान्त निर्धारण किया जाना है।

1 प्रथम दृष्ट्या –

प्रस्तुत दस्तावेजों एवम् अभिवचनों के परिशीलन उपरान्त प्रथम दृष्ट्या ग्राम समेल तहसील निर्झरना स्थित खसरा नंबर 3 रकबा 06 बिस्वा ,खसरा नंबर 2 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 4 रकबा 22 बीघा 16 के वर्तमान खातेदार अप्रार्थीगण नन्दलाल, कानाराम व अनिता है। प्रश्नगत भूमि श्रीनारायण पुत्र प्रभात की खातदारी की भूमि रहने एवम उसकी मृत्यू के बाद अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 927 दिनांक 18.05.2015 होने के तथ्य नामान्तरकरण संख्या 927 से बखूबी प्रमाणित है। अर्थात जमाबंदी एवम् नामान्तरकरण से प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवम् अप्रार्थीगण की पैतृक भूमि साबित है। प्रार्थीनी के हक–त्याग के बिन्दू पर वकील प्रार्थी एवम् वकील अप्रार्थी के कथनो एवम् साक्ष्यों के परिक्षणोपरान्त यह निष्कर्ष सामने आता है कि दिनांक 10–02–2016 को प्रार्थीया के द्वारा स्टाम्प कीमति 100/– रूपये पर एक इकरारनामा अप्रार्थी सं01 व 2 के साथ इस आशय का किया कि वादग्रस्त भूमि जो कि ग्राम समेल पटवार क्षेत्र होदायली तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी पूर्व में प्रार्थीया के पिता श्रीया उर्फ श्रीनारायण के नाम रही है, की मृत्यु दिनांक 08–03–2014 के बाद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जायंदा वारिस होने के कारण उक्त भूमि का नामान्तरकरण राजस्व रिकार्ड में अपने नाम करवा लिया है। उक्त इकरारनामे में स्वयं प्रार्थीया द्वारा इस बात की स्वीकारोक्ति की गई हैं कि स्वयं प्रार्थीया अपने पिता के जीवित रहने के दौरान उनको बिना बताये अपनी मनमर्जी से किसी अन्य जगह चली गई थी। जिसकी वजह से प्रार्थीया को उसके पिता के द्वारा सम्पूर्ण जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है। साथ ही प्रार्थीया द्वारा दिनांक 10–02–2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया हैं कि वादग्रस्त आराजी में जो मेरा हिस्सा बनता है उसको इस एग्रीमेंट के माध्यम से मैने अप्रार्थी सं01 व 2 के नाम हकत्याग कर दिया है। इस प्रकार प्रार्थीयां द्वारा दिनांक 10–02–2016 को तहरीर करवाये गये उक्त इकरारनामे में प्रार्थीया स्वयं इस बात की स्वीकारोक्ति का कथन करती हैं कि अब प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हिस्सा शेष नहीं बचा है। प्रार्थीया द्वारा पूरे होश हवास से तथा नोटरी पब्लिक की उपस्थिति में तथा रूबरू गवाहान छोटेलाल मीना व राकेश मीना की उपस्थिति में उक्त इकरारनामा तहरीर करवाकर स्वयं के हस्ताक्षर किये तथा उक्त इकरारनामे को नोटेरी पब्लिक प्रकाश चंद शर्मा बस्सी द्वारा अटेस्टेड करवाया गया जिसके रजिस्टर्ड क्रम संख्या 39 / 2016 है। उक्त दस्तावेज में अंकित कथनो से प्रार्थीनी संतोष एस्टोप्ड है। दस्तावेज को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रार्थीया द्वारा पेश नहीं किया गया है जिससे इकरारनामा आजदिनांक तक प्रथम दृष्ट्या प्रभावी साबित है। प्रार्थीया के पैतृक सम्पत्ति में अधिकार के संबंध में अभिमत वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2014(2) आरआरटी 901 उनवानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 15:28:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
लालसोट जिला–दौसा (राज०)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 2021/692
संतोष बनाम नन्दलाल ।

प्रकरण भूली बनाम चन्दा में पारित किया है "अपीलाण्ट मीना समुदाय की विवाहिता महिला होने और अपने पिता की सम्पत्ति को दाय हेतु हकदार नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया। दूसरा डीएनजे राजस्थान 1050 में भी माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे भी ये ही मत पारित किये है। तथा प्रतिपादित किया है कि **Community and not held appellant was married women of scheduled tribe meena Community-appellant not held entitled to inherit her father's property.**

वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एक अन्य न्यायिक दृष्टांत सिविल अपील संख्या 6901 ऑफ 2022 उनवानी प्रकरण कमला बनाम विशिष्ट भूमि आवाप्ति अधिकारी में माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में पारित किया है कि **under the circumstances in view of Section 2(2) of hindu succession act and the appellant being the member of the scheduled Tribe and as the female member of the Scheduled Tribe is specifically excluded, the appellant is not entitled to any right of survivorship under the provisions of Hindu Succession Act.** प्रथम विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों में उद्धरित न्यायिक सिद्धान्त प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है तथा वकील अप्रार्थी के अभिवाकों को बलयुक्त बनाते है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीया के पैतृक सम्पत्ति में अधिकार के संबंध में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों एवम् प्रस्तुत न्यायिक दृष्टंतो की रोशनी में न्यायालय का अभिमत है कि एसटी समुदाय पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कानून लागू न होकर कस्टमरी राईट्स लागू होते है जिससे परिणामस्वरूप प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थिनी के पक्ष में साबित नहीं है।

दूसरा प्रार्थिनी मीना समुदाय की विवाहिता महिला है जिस पर पैतृक सम्पत्ति के हिन्दू उत्तराधिकार कानून लागू नहीं होकर कस्टमरी राईटस लागू होते है इस कारण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थिनी अपने पिता की सम्पत्ति में एनटाईटल साबित नहीं है। इस स्थिति में यदि अप्रार्थीगण को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अप्रार्थीगण को ही क्षति कारित होने की प्रबल सम्भावना है प्रार्थिनी को नही। प्रकरण में प्रार्थिनी को किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है, ये भी स्पष्ट नहीं हुआ है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2(2) के प्रावधान मीना समुदाय पर लागू नहीं होने के कारण प्रार्थिनी की तुलना में अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा प्रकट होना जाहिर होता है। इस कारण सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में ही सिद्ध होता है। इस प्रकार विवेचित कानूनी दृष्टांतों एवम विधि की रोशनी में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रार्थिनी के विरूद्ध तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य साबित नहीं होता है।

अतः उक्त विवेचनों एवम् न्यायिक दृष्टांतों के प्रकरण पर चस्पा होने व मीना समुदाय पर हिन्दू उत्तराधिकार कानून के लागू नहीं होने के कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाषा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली ... होकर नम्बर से कम हो। संलग्न मूलवाद रहे । निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 02-07-24 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.08.16 16:28:03 IST
Reason: SelfAttested

विजेन्द्र कुमार मीना (आरएएस)
सहायक कलक्टर, लालसोट

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज०)